राजस्थान सरकार

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

आज्ञा–पत्र

जमीला बनाम अहमद खा आदि

पत्रावली संख्या 01/2022 विषय–धारा 225 आर.टी.ए.1955

दिनांक	आज्ञा	वि0वि0
24.03.2022	पत्रावली पेशी पर ली गयी । उभय पक्ष अभिभाषकगण उपस्थित । रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा नकल निगरानी मीमो व आर्डरशीट सं0 153/2021 व 166/2021 अनुवान महबुब खां बनाम जमीला एवम महबुब खां बनाम महावीर खराड़ी, नकल अपील मीमो आर्डर शीट, जवाब प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र 340 सीआरपीसी, अपील सं0 37/2020 अनुवान जमीला बनाम अहमद खां, नकल प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट उपखण्ड अधिकारी रतनगढ का पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली सं0 37/2020 अनुवान जमीला बनाम अहमद खां आदि कृषि भूमि ख0न0 1150, 1151 व 770 तादादी 7.0694 हैक्टयर वाके रोही रतनगढ एवम पत्रावली सं0 1/2022 जमीला बनाम अहमद खां आदि कृषि भूमि ख0न0 1150, 1151 व 770 तादादी 7.0694 हैक्टयर वाके रोही रतनगढ इस न्यायालय में क्रमश दिनांक 30.12.2020 व 21.02.2022 को प्रस्तुत हुई है । पत्रावली सं0 37/2020 जमीला बनाम अहमद खां आदि को इस न्यायालय के पत्रांक 39 दिनांक 28.01.2021 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक टीए/ निग/ 2021/ 153/ चूरू/ 07/ 04/2021/ 639–42 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा चाहे जाने पर भिजवा दी गयी थी जो आदिनांक राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है । इसी से संबंधित प्रार्थना पत्र सं0 166/2021 में राजस्व मण्डल द्वारा पीठासीन अधिकारी से बिन्दुवार सुचना चाही गयी थी जो श्रीमान जी द्वारा भिजवा दी गयी थी । इसके उपरांत दिनांक 21.02.2022 को इस न्यायालय को अंधेरे में रखकर एवम पूर्व में प्रस्तुत पत्रावली के तथ्यों को छुपाते हुऐ अपीलांट द्वारा एक नई अपील 01/2022 जमीला बनाम अहमद खां आदि दिनांक 21.02.2022 को प्रस्तुत की थी । इस न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवम अपीलांट के अधीवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.11.2018 को त्रुटिपूर्ण मानते हुए न्याय हित में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.11.2018 की पालना स्थगित की गयी थी इसके उपरांत अपीलांट द्वारा वादगत कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया है । चूंकि एक ही अनुवान व एक ही आदेश एवम समान भूमि की दो अलग अलग अपीलें न्यायालय में पेश नही की जा सकती है । अपीलांट द्वारा न्यायालय को अधेरे में रखते हुए दो अपीले पेश कर स्थगन प्राप्त किया है को निरस्त किया जावे एवम स्थगन आदेश की आड़ में अपीलांट द्वारा मौका व रेकार्ड में परिवर्तन या वादगत भूमि का बैयनामा किया गया है को प्रभावशुन्य करते हुऐ उसके आधार पर रेकार्ड में किसी प्रकार के परिवर्तन करने के निर्देश प्रदान किये जावे ।	

अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटा जमीला द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के आदेश दिनांक 02.11.2018 के विरूद्व दिनांक 21.02. 2022 को अपील प्रस्तुत की थी अपीलांटा जमीला अनपड़ घरेलू व प्रर्दानसीन महीला है । जिसे कानून प्रक्रिया के संबंध मे कोई जानकारी नही है । अपीलांटा को उक्त प्रकरण के पूर्व में अपील दर्ज होना व अपील का राजस्व मण्डल में स्थानान्तरण हो जाने का कोई ज्ञान नही था ओर ना ही कानून बिन्दुओ की जानकारी न होने के कारण दा अपील पेश करने का भी कोई ज्ञान नही था ।

उभय पक्ष की बहस सूनी गयी । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवम रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित होता है कि पत्रावली सं0 37/2020 अनुवान जमीला बनाम अहमद खां आदि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1150,1151 व 770 तादादी 7.0694 हैक्टयर वाके रोही रतनगढ एवम अपील सं0 1/2022 जमीला बनाम अहमद खां आदि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1150,1151 व 770 तादादी 7.0694 हैक्टयर वाके रोही रतनगढ इस न्यायालय में क्रमश दिनांक 30.12.2020 व 21.02.2022 को प्रस्तुत हुई । पत्रावली सं0 37/2020 इस न्यायालय के पत्रांक 39 दिनांक 28. 01.2021 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक टीए/ निग/ 2021/ 153/ चूरू/ 07/ 04/2021/ 639–42 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा चाहे जाने पर भिजवा दी गयी थी जिसके संबंध में राजस्व मण्डल में हो रही कार्यवाही के सबंध में मोखिक व लिखित जानकारी इस न्यायालय को उपलब्ध नही हुई है । उक्त पत्रावली दिनांक 28.01.2021 से कार्यवाही स्थगन में चली गयी । इसके उपरांत दिनांक 21.02.2022 को अपीलांट द्वारा न्यायालय को अधेरे में रखकर व पूर्व में प्रस्तुत अपील के तथ्यों को छुपाते हुऐ अपीलांटा द्वारा एक नई अपील सं0 1/2022 अनुवान जमीला बनाम अहमदं खां आदि दिनांक 21.02.2022 को प्रस्तुत की थी इस न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध तथ्यो एवम अपीलांटा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2018 को त्रुटिपुर्ण मानते हुए न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय की पालना दिनांक 02.11.2018 को स्थगित की गयी थी । चूंकि अपील सं0 37/2020 अनुवान जमीला बनाम अहमद खां आदि दिनांक 28.01.2021 से आदिनांक तक कार्यवाही स्थगन में होने के कारण नियमित तारीख पेशी में नही आने के कारण दुसरी अपील के संबंध में जानकारी इस न्यायालय को नही हो पाई । अब न्यायालय के ध्यान में आ चूका है कि एक ही अनुवान व एक ही कृषि भूमि की दो दो अपीले न्यायालय में जैरकार है जो कानूनी दृष्टी से उचित नही है क्यों कि आदेश 41 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत अपील के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी दी हुई है ।

अपील सं0 01/2022 जमीला बनाम अहमद खां आदि उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के आदेश दिनांक 02.11.2018 के विरूद्व पेश की गयी थी । रेस्पो0/वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवम सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश

किया जिसे स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को रेस्पो0/वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश जारी किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार एवम सहखातेदारो के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुऐ स्थगन आदेश पारित किया उससे पूर्व संयुक्त खातेदारी की भूमि के सभी रेकार्डेड काश्तकारों खातेदारो को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर नही दिया क्यों कि इस अस्थाई निषेधाज्ञा से सभी रेकार्डेड काश्तकार प्रभावी हो रहे थे इस आधार पर इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.11.2018 की पालना को स्थगित किया गया था ।

अतः अपील सं0 01/2022 अनुवान जमीला बनाम अहमद खां आदि में जारी किया गया स्थगन आदेश एवम दिनांक 21.02.2022 एवम अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील को आदेश 41 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत तत्काल प्रभाव से खारीज (नामंजूर) किया जाता है । इस न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.02.2022 के पश्चात वादगत कृषि भूमि ख0न0 1150, 1151 व 770 तादादी 7.0694 हैक्टयर वाके रोही रतनगढ के मौका व रेकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है को निरस्त किया जाता है एवम वादगत कृषि भूमि का बेचान व बेयनामा हुआ है तो उसे प्रभाव शुन्य घोषित किया जाता है । उसके आधार पर मोका व रेकार्ड में किसी प्रकार के परिवर्तन नही करने के निर्देश प्रदान किये जाते है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ एवम तहसीलदार रतनगढ को निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर